

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 62/4418/2006/1/6

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2007

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन,
मीरा दातार रोड,
शंकर नगर,

2007

I.C.

रायपुर

विषय:—सूचना का अधिकार विषयक निर्देश देने बाबत ।

संदर्भ:—आपका पत्र दिनांक 16.11.2006

उपरोक्त संदर्भित पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर सुझाव निम्नानुसार हैं:—

	शंका	समाधान
1.	सूचना के अधिकार के तहत आवेदन शुल्क या अन्य शुल्क नॉन ज्युडिशियल स्टॉप व मनीआर्डर से जमा करने संबंधी आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त न होने का उल्लेख कर आवेदन नहीं लेने पर क्या किया जा सकता है ?	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इसकी शिकायत अपीलीय अधिकारी, लोक प्राधिकारी अथवा छ.ग.सूचना आयोग को की जा सकती है
2.	यदि लोक सूचना अधिकारी समयवधि में जानकारी नहीं देते हुए बाद में देता है तो क्या आवेदक को दी जाने वाली जानकारी निःशुल्क देने के लिए वह बाध्य है ?	सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदक को आवेदन प्राप्त के 30 दिनों की समयावधि के बाद जानकारी निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है ।
3.	लोक सूचना अधिकारी को किया गया अर्थ दण्ड क्या आवेदक को दिया जायेगा या किसी अन्य को ?	लोक सूचना अधिकारी को किसी प्रकरण में दिया गया अर्थ दण्ड शासकीय खाते में जमा किया जायेगा। यदि आयोग द्वारा आवेदक को क्षतिपूर्ति का आदेश किया जाता है तो तदनुसार भुगतान होगा ।

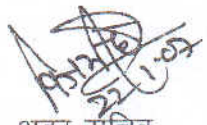
4.	लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील लगाने पर अपीलीय अधिकारी उसे कितने बार माफ कर सकता है, क्या अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को दण्ड दे सकता है?	लोक सूचना अधिकारी को दण्ड देने का अधिकार अपीलीय अधिकारी को नहीं है। बल्कि छ.ग. सूचना आयोग को है।
5.	प्रमुख अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी का पक्ष लेने पर क्या किया जाये ?	यदि किसी प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी का पक्ष लिया जाता है तो उसकी शिकायत सूचना आयोग में की जा सकती है।
6.	प्रथम अपील व द्वितीय अपील लगाने पर लोक सूचना अधिकारी को हुए जुर्माने की राशि आवेदक के द्वारा खर्च की भरपाई हेतु दी जाती है ?	अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।


 (विजय कुमार सिंह)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक 63 / 4418 / 2006 / 1 / 6
 प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2007

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. श्री नूतन सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, पुरानी बस्ती कोरबा, जिला-कोरबा, छ.ग.
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग